# PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

**Paper No-II** **Paper Name- CRPC** **Unit-2**

**Q1 प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है? एक व्यक्ति को जिसकी प्राथमिकी संबंधित पुलिस स्टेशन पर नहीं लिखी गयी क्या उपचार उपलब्ध है? यदि इस सम्बन्ध में न्यायायिक** दण्डा**धिकारी के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जाती है तो इस सम्बन्ध में उसकी शक्तियां बताइएये |**

धारा 154 संज्ञेय मामलों में इत्तिला- (1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से सम्बन्धित प्रत्येक इत्तिला यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएंगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करें, प्रविष्ट किया जाएगा।

2) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित इतिला की प्रतिलिपि, इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (1) में निर्दिष्ट इतिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने से व्यथित है, ऐसी इतिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा सम्बद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इतिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबन्धित रीति में अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के सम्बन्ध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को सभी शक्तियां होंगी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट- धारा 154 के अधीन अभिलिखित की गयी सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report) कहा जाता है। चूंकि यह अपराध के बारे में प्रथम तिला होती है इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य के बाद में न्यायालय ने प्राथमिक इत्तिला रिपोर्ट के साक्ष्यिक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष मौलिक साध्य के भाग के रूप में ग्राह्य नहीं होती है। क्योंकि प्रथम इसिला प्राप्त होने के बाद ही पुलिस को अपराध का अन्वेषण करना होता है। इसका उपयोग केवल इतिला करने वाले व्यक्ति के कथनों के खण्डन यो अनुसमर्थन हेतु किया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का उपयोग अन्य साथियों के कथन के खण्डन या अनुसमर्थन हेतु नहीं किया जा सकता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

यदि पुलिस अधिकारी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (रपटे इब्तिदाई) को अभिलिखित (record) करने से इन्कार कर देता है, तो दण्ड विधि का क्रियान्वयन हो प्रारम्भ नहीं हो सकेगा, इसलिये ऐसी दशा में धारा 154 (3) में यह व्यवस्था है कि इसिला देने वाला व्यक्ति इतिला का सार (substance of the report) लिखित रूप में प्रत्यक्षतः अथवा डाक द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को दे सकता है या भेज सकता है। पुलिस अधीक्षक यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि वास्तव में कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने हेतु निर्देशित करेगा।

**बाबाजी उर्फ बृज कुमार मोहंती बनाम उड़ीसा राज्य** के बाद में उन्होंसा उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यदि पुलिस थाने के भारसायका अधिकारी ने डाक्टरी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट लिखो हो, तो यह रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट के अधीन नहीं आएगो। जहाँ रोगियों के मध्य आपस में मारपीट हुई हो जिसकी सूचना पुलिस पाने के भारसाधक अधिकारी को टेलीफोन पर दी गई हो तो ऐसी दशा में घटना के सन्दर्भ में इस प्रकार से टेलीफोन से दी गयी सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में ग्राह्य नहीं किया गया है |

**Q2 प्रत्येक अपराध की जाँच और विचारण उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसकी अधिकारिता के अंदर वह कारित किया गया है?**

**जाँच और विचारण का मामूली स्थान** प्रत्येक अपराध की जाँच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर अपराध किया गया है|

इस धारा में किसी अपराध की जाँच अथवा विचारण के लिए किस न्यायलय को अधिकारिता होगी इसके विषय में सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साधारणतः किसी अपराध को जाँच या विचारण केवल उसी न्यायालय द्वारा किया जायेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत वह अपराध घटित हुआ | इस धारा में वर्णित उपबंधों के अनुसार कोई भी मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले के विचारण के लिए प्राधिकृत नहीं है जो उसको स्थानीय अधिकारिता से परे घटित हुआ है। शाम आलम खान बनाम भारत संघ के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया यदि अभियुक्त ने दिल्ली संघीय राज्य क्षेत्र में कोई अपराध किया है, तो उस अपराध के लिए उसका गाजियाबाद के न्यायालय में विचार नहीं किया जा सकता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 494 तथा 495 के अधीन कारित विवाह के अपराध की दशा में अपराध की विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जहाँ दूसरा विवाह किया गया था।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

धोखे के अपराध की दशा में अपराध का विचारण वस्तुतः उस स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहाँ अपराध किया गया हो अथवा उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहाँ वस्तुतः क्षति हुई हो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन की जाने वाली कार्यवाई किसी अपराध से संबंधित न होने के कारण भरण-पोषण संबंधी मामले में यह उपबंध लागू नहीं होंगे तथा इसके संदर्भ में अधिकारिता संबंधी उपबंध धारा 125 द्वारा हो शासित होंगे |

इस धारा में प्रयुक्त 'मामूली तौर' शब्द से तात्पर्य यह है कि अन्यथा उपबंधित बातों को छोड़कर विचारण के बारे में समस्त ऐसी कार्यवाही जो कि इस संहिता के अधीन की गई है या जो स्थानीय या विशेष विधि के अंतर्गत दंडनीय होने के कारण विचारणीय है, इस धारा में समाविष्ट होगी ज्ञातव्य है कि इस धारा के उपबंध अनन्य नहीं है क्योंकि इसको पश्चात्वर्ती धाराओं में कतिपय विशेष प्रकार के अपराधों में जाँच या विचारण के लिए वैकल्पिक स्थान का प्रावधान है।

**धारा 178 जाँच या विचारण का स्थान** -

(क) जहाँ यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, अथवा

(ख) जहाँ अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, अथवा

(ग) जहाँ अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, अथवा

(घ) जहाँ वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है,

वहाँ उसकी जाँच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

धारा 178 में पूर्ववर्ती धारा 177 के कतिपय अपवादों का उल्लेख है। इसमें यह उपबंधित किया गया है कि किन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय अपराध की स्थानीय सीमा के बाहर भी हो सकता है। ये निम्नानुसार हैं

1. जब अपराध कारित किए जाने का स्थानीय क्षेत्र अनिश्चित हो;
2. जब अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र तथा अंशतः किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो;
3. जब अपराध निरंतर चालू रहने वाले स्वरूप का हो तथा वह एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में रहता है;
4. जब अपराध का निर्माण विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गये अनेक कार्यों से होता है ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

यह धारा केवल उन्हीं मामलों की जांच या विचारण से संबंधित होगी जिन्हें विधि द्वारा दंडनीय माना गया है। संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत आने वाला मामला इस धारा के संदर्भ में आपराधिक मामला नहीं माना जाएगा। यदि किसी षड्यंत्र के मामले में यह संदेह हो कि षड़यंत्र का अपराध कानपुर में किया गया या इलाहाबाद में, तो उस स्थिति में अपराध के जाँच व विचारण का कार्य उक्त दोनों स्थान पर स्थानीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों में से किसी के द्वारा किया जा सकेगा। किन्तु जहाँ यह साबित हो कि कानपुर षड्यंत्र के अपराध का केन्द्र था तथा एक अभियुक्त कानपुर में गिरफ्तार भी किया गया था, तो उस दशा में कानपुर के न्यायाधीश को सभी अभियुक्तों के विचारण की अधिकारिता होगी i

धारा 178 (ग) के अधीन निरंतर चालू रहने वाले अपराध के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने **अब्राहम अजीत बनाम पुलिस निरीक्षक, चेन्नई**- के वाद में अभिनिर्धारित किया कि जहाँ धारा 498-क एवं धारा 406 (भा० द० सं० ) के अन्तर्गत कारित अपराध के मामले में परिवाद 'न' नामक घटना के स्थान के न्यायालय में दायर किया गया हो, लेकिन पीड़िता पत्नी अपराध की घटना के पश्चात् 'न' स्थान छोड़कर 'म' नामक स्थान में रहने चली गई हो और उसने वहाँ भी परिवाद दायर किया हो, जिसमें यह उल्लेख न हो कि दहेज की मांग या अपराध कृत्य का 'म' स्थान से कोई संबंध है, तो ऐसी दशा में धारा 176 (ग) के निरंतर चालू रहने वाले अपराध के उपबंध लागू नहीं होंगे। अतः परिवाद को खारिज करते हुये न्यायालय ने विनिश्चित किया कि चूंकि 'म' स्थान पर उक्त अपराध से संबंधित कोई गतिविधि नहीं हुई थी अत: वाद कारण का 'म' स्थान से कोई संबंध नहीं है और इसलिये 'म' स्थान के न्यायालय को परिवाद स्वीकार करने की अधिकारिता नहीं है|

**धारा 179 अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला** - जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है तब ऐसे अपराध की जाँच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला।

डकैतों के एक गिरोह का गठन 'अ' नामक जिले के भीतर किया जाता है तथा उस गिरोह द्वारा डकैती का अपराध 'ब' नामक जिले में किया जाता है। उक्त दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 400 के अधीन अपराध का विचारण 'अ' अथवा 'ब' जिले में स्थानीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों में से किसी भी द्वारा किया जा सकता है|

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

एक ट्रक का परमिट जो इन्दौर में जारी किया गया था, कूटरचना के द्वारा उसकी क्रियाशील समयावधि बढ़ा लिया गया था। उक्त कूटकृत परमिट नासिक में चेक किया गया। उक्त दशा में ट्रक ड्राइवर का विचारण इन्दौर में किया जा सकेगा।

**धारा 181 कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान** - (1) ठग होने के, या ठग द्वारा - हत्या के, डकैती के, हत्या सहित डकैती के, डकैतों की टोली का होने के, या अभिरक्षा निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है।

( 2 ) किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया या ले जाया गया या छिपाया गया या निरुद्ध किया गया है।

(3) चोरी, उद्दापन या लूट के किसी अपराध की जाँच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई सम्पत्ति जो कि अपराध का विषय है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गयी है जिससे उस सम्पत्ति को चुराई हुई सम्पत्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखे रखा ।

(4) आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर अपराध किया गया है या उस सम्पत्ति का, जो अपराध का विषय है, कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया या रखा गया है अथवा उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है।

(5) किसी ऐसे अपराध की, जिसमें चुराई हुई सम्पत्ति का कब्जा भी है, जाँच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई हैं, जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण होते हुए प्राप्त किया या रखे रखा।

**धारा 186 सन्देह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जाँच याविचारण होगा**- जहाँ दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसे

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

उस अपराध की जाँच या विचारण करना चाहिए, वहाँ वह प्रश्न (क) यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा;

(ख) यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं, तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीली दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर कार्यवाही पहले प्रारम्भ की गई है,विनिश्चित किया जाएगा, और तब उस अपराध के सम्बन्ध में अन्य सब कार्यवाहियाँ बन्द कर दी जाएंगी।

**Q3 प्रत्येक सुभिन अपराध के लिए , जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है , पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथकत किया जाएगा। क्या इस नियम का कोई अपवाद है? यदि हाँ तो क्या?**

**धारा 218 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक् आरोप**- (1) प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए, जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है, पृथक् आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथकत: किया जाएगा :परन्तु जहाँ अभियुक्त व्यक्ति, लिखित आवेदन द्वारा, ऐसा चाहता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि उससे ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा वहाँ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकता है।

(2) उपधारा (1) की कोई बात धारा 219, 220 और 223 के उपबन्धों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी।

क पर एक अवसर पर चोरी करने का दूसरे किसी अवसर पर घर उपहति कारित करने का अभियोग है। चोरी के लिए और घोर उपहति कारित करने के लिए के पर पृथक-पृथक आरोप लगाने होंगे और उनका विचारण पृथकवः करना होगा |

**सुभिन्न अपराध** - धारा 218 में प्रयुक्त पदावली 'सुभिन्न अपराध' से तात्पर्य एक जैसे अपराधों से नहीं हैं बल्कि इसका तात्पर्य ऐसे अपराधों से है जो एक दूसरे से पूर्णत: भिन्न हों। किसी अपराध के संबंध में निम्नलिखित आधारों पर सुभिन्नता हो सकती है

(1) समय की भिन्नता के आधार पर जब वे अपराध घटित हुए हैं;

(2) अपराध से पीड़ित व्यक्तियों की सुभिन्नता के आधार पर;

(3) घटित होने के स्थान से उत्पन्न सुभिन्नता;

(4) भारतीय दंड संहिता या अन्य विधियों के धारागत प्रवर्तन के आधार पर व्याप्त सुभिन्नता।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

दो अपराधों को सुभिन्न अपराध तब माना जाएगा जब वे एक समान नहीं होते हैं, अर्थात् वे किसी भी रूप में एक दूसरे अपराध से संबंधित नहीं होते हैं|

उच्चतम न्यायालय ने **किशोर चंद** बनाम **हिमाचल प्रदेश** राज्य 35 के वाद में विनिश्चित किया कि किसी स्वतंत्र आरोप को विरचित करने में लोप (omission) मात्र से विचारण की कार्यवाही अवैध नहीं हो जाएगी। इस वाद में अपीलकर्ता तथा दो अन्य अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 201 के अधीन आरोपित किया गया था परन्तु दोनों अभियुक्तों को धारा 302/34 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया कि किसी स्वतंत्र आरोप के अभाव में भी अपीलकर्ता को धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना उचित एवं वैध था।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW